



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 1347/ 2005

याचिकाकर्ता:

सोमेन्द्र प्रताप सिंह, आयु लगभग - वर्ष, आत्मज श्री मुरलीधर सिंह, प्रयोगशाला तकनीशियन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा।

विरुद्ध

प्रत्यर्थागण:

- 1) मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2) आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
- 3) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर।
- 4) प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति)

उपस्थिति:

- श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पी.के. भादुडी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।



- श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4/राज्य की ओर से।

मौखिक आदेश

(दिनांक 26 फरवरी, 2008 को पारित)

याचिकाकर्ता को दिनांक 10-1-1991 (संलग्नक ए/1) को 1,200/- रुपये प्रति माह के नियत वेतनमान पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर 89 दिनों की अवधि के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया था, और उसके पश्चात, उसकी नियुक्ति तब तक जारी रही जब तक कि नवंबर, 1999 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता की सेवाओं को विमुक्त नहीं कर दिया गया जिसका उल्लेख जवाबदावा में किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ओ.ए. क्रमांक 722/2000 (सोमेन्द्र प्रताप सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य) दायर किया गया था, जिसमें सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 7-2-2000 (संलग्नक ए/22) को चुनौती दी गई थी। यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति/विमुक्ति की तिथि क्या है।

2) जो भी हो, याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 89 दिनों की अवधि के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके पश्चात यह अवधि, सेवाओं से विमुक्ति की तिथि तक समय-समय पर 89 दिनों के लिए पारित विभिन्न आदेशों द्वारा



जारी रही। वर्तमान याचिका, याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने हेतु रिट/निर्देश की मांग करते हुए दायर की गई है।

3) सेवा समाप्ति के मुद्दे पर, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर ओ.ए. क्रमांक 722/2000 में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत, यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के प्रकरण का उक्त परिपत्र दिनांक 14-2-2000 तथा इस विषय पर सरकार के आगामी परिपत्रों के आलोक में पुनः परीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा नवीन आदेश पारित किया जाएगा। जब तक आवेदक के प्रकरण का ऊपर निर्देशित अनुसार पुनः परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।

आवेदक के प्रकरण के पुनः परीक्षण के पश्चात जारी किए जाने वाले आदेश से पुनः व्यथित होने की स्थिति में आवेदक पुनः अधिकरण के समक्ष जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह आवेदन पूर्वोक्त निर्देशों के साथ निराकृत किया जाता है।"

4) दिनांक 4-4-1996 को दायर वर्तमान याचिका, अधिकरण द्वारा पारित आगामी आदेश दिनांक 22-3-2000 (संलग्नक आर/2) के क्रम में नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है और विधि के अनुसार नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता ने सेवा में पुनर्नियुक्ति, निरंतरता या बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है।

5) उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी एवं अन्य ((2006) 4 SCC 1)** के प्रकरण में विधि का स्पष्ट प्रतिपादन



किया है, जिसका बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में अनुसरण किया गया है।

6) सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमा देवी एवं अन्य (उपरोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"अतः यह स्पष्ट है कि लोक नियोजन में समानता के नियम का पालन हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूंकि विधि का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए एक न्यायालय निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करने या संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पठित अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता की उपेक्षा करने का आदेश देने में अक्षम होगा। इसलिए, लोक नियोजन की योजना के अनुरूप, इस न्यायालय को विधि निर्धारित करते समय अनिवार्य रूप से यह मानना होगा कि जब तक नियुक्ति प्रासंगिक नियमों के अनुसार और योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के बाद नहीं होती है, तब तक वह नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी...."

7) उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति के आधार पर सेवा में किसी नियमितीकरण या बहाली का दावा नहीं कर सकता है, जो कि अस्थायी थी और नियोजन की संवैधानिक योजना से इतर, विधि के अनुरूप नहीं थी।

8) तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश





====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

